रा. मु. अ. 33 4 -2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

प्रेमसिंह बनाम उम्मेद सिंह

किस्म मुकदमा .... नं० 116/ सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई ने अपनी रिपोर्ट मे बताया की वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही होना बताया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर आदेश है की तहसीलदार बांदीकुई वादीगण को ख०नं० 398, 399, 400/893 मे से धारा 251 A के तहत 15 फिट का रास्ता (तहसीलदार रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ते अनुसार) के लिये रास्ते हेतु उपयोग मे आने वाली भूमि की डीएलसी दर से गणना कर दो गुना राशि वादीगण से खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। ~~तहरीर~~ विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है।	

तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 21.7.25

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः–116/2024
प्रकरण दायर दिनांकः–03.09.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः–21.07.2025

उनवान

1. प्रेमसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 38 वर्ष
2. रामसिंह पुत्र प्रहलाद उम्र 70 वर्ष
   समस्त जाति गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला राजस्थान ।

:–प्रार्थीगण

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र श्रीया
2. धर्मा पत्नि डल्लू
3. नर्बदा पत्नि रामकरण
4. नाथूसिंह पुत्र डल्लू
5. पुखराज पुत्र रामकरण
6. भगवानसहाय पुत्र डल्लू
7. मुकेश पुत्र रामकरण
8. रमेश पुत्र डल्लू
9. रेशम पुत्री श्रीया
10. राजन्ती पुत्री श्रीया
11. राजन्ती पुत्री डल्लू
12. रामकिशोर पुत्र रामकरण
13. रामपति पुत्री डल्लू
14. विजयसिंह पुत्र श्रीया
15. विश्राम पुत्र श्रीया
16. गुलाब देवी पत्नि हीरालाल
17. बच्चू पुत्री हीरालाल
18. रामेश्वर पुत्र हीरालाल
19. अमीषा पुत्री नाथूसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता भौती देवी
20. कजोड पुत्र झुंथा
21. कान्जी पुत्र रामगोपाल
22. छैलसिंह पुत्र बनेसिंह
23. जयराम पुत्र झूथा
24. भंवर सिंह पुत्र रामजीलाल
25. भौती देवी पत्नि स्व. नाथूसिंह
26. मुकुट पुत्र नाथूसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता भौती देवी
27. मानसिंह पुत्र गूंथा

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

28. रूकमणी पत्नि बनेसिंह
29. रतनसिंह पुत्र गूंथा
30. राज पुत्र नाथूसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता भौती देवी
31. रामवतार पुत्र रामजीलाल
32. रामसिंह पुत्र रामजीलाल
33. विश्राम पुत्र गूंथा
समस्त जाति गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान ।
34. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिवाई जरिये शाखा प्रबन्धक बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
35. यूको बैंक शाखा बडियाल कला जरिये शाखा प्रबन्ध बडियाल कला तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
36. यूको बैंक शाखा पण्डितपुरा जरिये शाखा प्रबन्ध पण्डितपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
37. केनरा बैंक शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबन्धक बांदीकुई
38. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम जर्ये वकील श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाह के इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी संख्या 01 की सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 140 पुराना 133 खसरा नम्बर 116 रकबा 0. 12 हैक्टे, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.73 हैक्टे, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.87 हैक्टे, खसरा नम्बर 118/928 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 154 रकबा 0. 30 हैक्टे, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.24 हैक्टे, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.42 हैक्टे, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.33 हैक्टे, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.14 हैक्टे, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.42 हैक्टे कुल किता 15 कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर वाके रामा दुब्बी पटवार हल्का नांगल झमरवाडा तहसील बांदीकुई स्थित है जिसका खातेदारान ने बाहमी बंटवारा अर्सा 60-70 वर्ष पूर्व कर रखा है जिसके अनुसार प्रार्थी संख्या 01 खसरा नम्बर 156, 157 व 319 भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी संख्या 02 की सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि काश्त खाता संख्या नया 81 पुराना 83 खसरा नम्बर 164 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.44 हैक्टे खसरा नम्बर 166 रकबा 0.55 हैक्टे, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.30 हैक्टे कुल किता 04 कुल रकबा 1.41 हैक्टेयर तथा भूमि काश्त खाता संख्या नया 79 पुराना 81 खसरा नम्बर 334 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा नम्बर 335 रकबा 0.02 हैक्टे, खसरा नम्बर 336 रकबा 0. 33 हैक्टे, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.03 हैक्टे कुल किता 08 कुल रकबा 0.86 हैक्टे स्थित वाके रामा दुब्बी पटवार हल्का नांगल झामरवाडा तहसील बांदीकुई है जिस पर खातेदारान ने अर्सा 60-70 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा कर रखा है और इस बंटवारा अनुसार प्रार्थी संख्या 02 खसरा नम्बर 166, 167, 336, 337, 338 भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। भूमि काश्त खाता संख्या नया 201 पुराना 202 खसरा नम्बर 372 रकबा 0.26

२५६-

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टे, खसरा नम्बर 388 हैक्टे, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.38 रकबा 0.13 हैक्टे, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.22 हैक्टे, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.13 हैक्टे, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.15 हैक्टे, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.33 हैक्टे, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.21 हैक्टे, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.49 हैक्टे, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.36 हैक्टे, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.23 हैक्टे, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.28 हैक्टे, कुल किता 13 कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर स्थित वाके रामा दुब्बी पटवार हल्का नांगल झामरवाडा तहसील बांदीकुई के अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 18 खातेदार काश्तकार है। इस खाता में दर्ज भूमि के सहखातेदार हीरालाल पुत्र गोकल का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन उसके विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान के नाम दर्ज नहीं होने से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हीरालाल पुत्र गोकल दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 18 हीरालाल पुत्र गोकल के जायज वारिसान होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है तथा भूमि खाता संख्या नया 04 पुराना 04 खसरा नम्बर 377 रकबा 0.30 हैक्टे., खसरा नम्बर 378 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.25 हैक्टे, खसरा नम्बर 380 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नम्बर 381 रकबा 0.30 हैक्टे, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.37 हैक्टेत्र खसरा नम्बर 399 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 400/893 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.41 हैक्टे, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.12 हैक्टै, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.125. हैक्टे, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.88 हैक्टे कुल किता 15 कुल रकबा 3.36 हैक्टे स्थित वाके रामा दुब्बी पटवार हल्का नांगल झामरवाडा तहसील बांदीकुई के अप्रार्थीगण संख्या 19 लगायत 33 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अर्सा 60–70 वर्ष से अपनी आबादी से भूमि खसरा नम्बर 400/893, 399 तथा खसरा नम्बर 398 में होते हुए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित रास्ता खसरा नम्बर 354 जो कि नक्शा सीट में स्थित है में होकर अपनी–अपनी आराजी खसरा नम्बर 336, 337, 338, 166, 167, 157, 156 व 319 में आते–जाते है तथा इसी रास्ते में होकर काश्त हेतु टैक्टर आदि साधन लाते ले जाते है इन खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 में होकर निकले हुये रास्ते को अर्सा 60–70 वर्ष से निर्बाध रूप से भूमि काश्त में आने जाने फसल बुआई कटाई आदि के लिये साधन टैक्टर आदि लाने ले जाने के उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है, खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 से होकर निकलने वाला रास्ता दिशा उत्तर में गैर मुमकिन रास्ता खसरा 354 में मिल जाता है। गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 354 के दिशा पश्चिम में प्रार्थी संख्या 02 के हिस्से कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 336, 337, 338, 166, 167 तथा प्रार्थी संख्या 01के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 157, 156 एंव दिशा पूर्व में अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 319 लगते हुये स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त वर्णित भूमि में आने जाने का केवल. एक ही रास्ता है जो खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 में होकर जाता है। यह रास्ता 15 फिट चौडा है इस प्रकार खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 में होकर 60–70 वर्ष पूर्व से 15 फिट चौडा रास्ता बना हुआ है जिसे प्रार्थीगण बिना किसी अवरोध के निर्बाध रूप से रास्ते के रूप में काम लेते चले आ रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है। खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 में से होकर प्रार्थीगण के खेतों पर आने जाने का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 33 के मन में बदनीयती आ गई और इस रास्ते को जबरिया रोकने का प्रयास एक माह पूर्व से करने लगे तथा प्रार्थीगण की उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि उक्त वर्णित में आने जाने के समय तथा भूमि काश्त हेतु टैक्टर आदि उपकरण लाते ले जाते समय अकारण व्यवधान उत्पन्न करने तथा

४५६–

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

गाली गलौच करते हुये रास्ते को बन्द करने का प्रयास करने लगे जिसे नक्शा नजरी में बैरंग सुर्ख ए बी सी डी से दर्शित किया है, जिसे इस प्रार्थना पत्र में आगे रास्ता विवादित से सम्बोधित किया गया है। खसरा नम्बर 398 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 399, 400/893 अप्रार्थीगण संख्या 19 लगायत 33 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की उक्त वर्णित भूमि में आने जाने तथा टैक्टर आदि साधन लाने लेजाने का इस रास्ता विवादित के अलावा अन्य कोई रास्ता की सुविधा नहीं होने के कारण प्रार्थीगण स्वंय की काश्त की भूमि उक्त वर्णित पर आने जाने टैक्र आदि साधन उपकरण लाने ले जाने के लिये राजस्व रिकॉर्ड नक्शा सीट में स्थित खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 में होकर नजरी नक्शा अनुसार ए बी सी डी को 15 फिट चौडा रास्ता निर्धारित करवाने तथा इसी अनुसार नक्शा सीट में तरमीम करवाने के अधिकारी है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में काश्त पैदा करने के लिये आ जा नही सकेंगे जिससे प्रार्थीगण को भूखे मरने की नौबत उत्पन्न हो जावेगी तथा प्राथीगण को नुकसान अजीम नाकाबिले तायून व तखमीना होगा जिसकी पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हो सकेगी और गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पड़ेगे जो बाय से बर्बादी प्रार्थीगण होगे । ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के पास सिवाय प्रार्थना पत्र हाजा पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।प्रार्थीगण, खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 में होकर, न्यायालय हाजा के आदेश अनुसार निर्धारित रास्ते की भूमि बाबत जो भी शुल्क नियमानुसार तय किया जावेगा अप्रार्थीगण को अदा करने के लिये तैयार व तत्पर है। दिनांक 27/08/2024 को अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 33 ने खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 में होकर, नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता ए बी सी डी 15 फिट चौडा को जबरन जोत लगा देने से बिनाय मुखास्मत व बिनाय दावा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने से यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। अप्रार्थी संख्या 34 लगायत 37 आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा ाया है। अप्रार्थी संख्या 38 लैण्ड होल्डर तथा भू अभिलेख अधिकारी होने से आवश्यक पक्षकार नाया गया है। भूमि वादग्रस्त न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय हाजा ो प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर ेवेदन है कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वर्णित चरण नम्बर 01 गायत 02 प्रार्थना पत्र में आने जाने तथा टैक्टर आदि साधन उपकरण लाने ले जाने के लिये प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 18 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 398 रकबा 0.28 हैक्टेयर ा अप्रार्थीगण संख्या 19 लगायत 33 की खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 399, रकबा 0.03 टेयर 400/893 रकबा 0.06 हैक्टे में होकर नजरी नक्शा में वर्णित ए बी सी डी 15 फिट चौडाई भूमि को रास्ते की भूमि घोषित की जाकर इसी अनुसार नक्शा शीट में तरमीम किये जाने तथा स्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। र्थीगण संख्या 01 लगायत 18 की ओर से एड. श्री राजेश भडाना उपस्थित आये। तथा र्थीगण संख्या 19, 21, 25, 26, 28, 30 द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित आकर स्वयं जबाब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 18 की ओर से एड. श्री राजेश भडाना ने जबाब पेश कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि शामलाती कृषि भूमि है जिसके खातेदार संख्या 01 व अन्य है मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 01 खसरा नम्बर 157, 319 की भूमि का सहखातेदार है। भूमि का विधिवत कोई बंटवारा नही हुआ है अन्य

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

सहखातेदार द्वारा रास्ता हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ना ही किसी प्रकार की बाहमी बंटवारा बाबत कोई दस्तावेज पेश किया है नियमानुसार प्रार्थना पत्र सभी सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था लेकिन अन्य सहखातेदारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र नियमों के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 02 में वर्णित भूमि शामलाती कृषि भूमि है जिसके खातेदार प्रार्थी संख्या 02 व अन्य है मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 02 खसरा नम्बर 166, 167, 336, 337, 338 की भूमि का सहखातेदार है। भूमि का विधिवत कोई बंटवारा नही हुआ है अन्य सहखातेदार द्वारा रास्ता हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ना ही किसी प्रकार की बाहमी बंटवारा बाबत कोई दस्तावेज पेश किया है नियमानुसार प्रार्थना पत्र सभी सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था लेकिन अन्य सहखातेदारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र नियमों के विरुद्ध होने से प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 03 जिस प्रकार दर्ज किया है सही होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अतः अस्वीकार है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 336, 337, 338, 166, 167, 157, 156 व 319 में स्वंय खातेदार नहीं है प्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदारान की सम्मलित खातेदारी की भूमि होने की वजह से प्रार्थीगण स्वंय किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं रखते है प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में कोई उपयोग उपभोग नहीं किया जा रहा है अगर प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया होता अथवा मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता चालू होता या रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किया गया होता तो राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस जमाबन्दी अथवा खसरा गिरदावरी में या हल्का पटवारी या भूअभिलेख निरीक्षक की दैनिक डायरी में इस तरीके के रास्ते का अंकन होता। प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये नजरी नक्शे के अनुसार मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 05 व 06 गलत है एंव अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 07 गलत है स्वीकार नहीं है 'खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 में कोई रास्ता मौजूद नहीं है जिसमें जबरन जोत लगाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है प्रार्थीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिये दावा खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 08 व 09 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 10 मय इस्तदुआ गलत है एंव स्वीकार नही है। तथा अतिरिक्त कथन में अंकन किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पंत्र के पैरा नंम्बर 04 में रास्ता करीब 60-70 वर्ष से होना जहिर किया है इस प्रकार प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थीगण के खातेदारी के बीच मे होकर जिस तरीके से रास्ते की मांग की है कतई गलत है जिस रास्ते को प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शे में एबीसीडी से दर्शाया गया है वो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार अति लघुतम रूट के विरूद्ध है क्योंकि प्रार्थी को आने जाने के लिए खसरा नम्बर 401 तक रास्ता मुताबिक रिकॉर्ड आ रहा है और 401 में दक्षिण में खसरा नम्बर 402 गैर.मु. रास्ता है जो अति लघुतम रूट है तथा जिससे किसी खातेदार के खसरे का किसी भी प्रकार से विभाजन नहीं होगा। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थीगण की भूमि के पास ही गैर मुमकिन रास्ता मौजूद है जिसको ही प्रार्थीगण बिना किसी रूकावट के काम में ले रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 18 के खसरा नम्बर 398 के बीच में होकर यदि रास्ते का आदेश किया जाता है तो अप्रार्थीगण की भूमि के टुकडे हो जावेगे और अप्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति कारित होगी व उक्त भूमि किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण के लिए उपयोगी नही होगी। अतः जवाब प्रार्थना

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 19, 21, 25, 26, 28, 30 द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 में होकर 60-70 वर्ष पूर्व से ही 15 फिट चौडा रास्ता को निर्विवाद रूप से प्रार्थीगण अपने उपयोग उपभोग में करते चले आ रहे है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी में आने जाने हल बैल टैक्टर आदि साधन लाने ले जाने के लिए नही है। प्रार्थीगण के अनुतोष अनुसार खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 में होकर 15 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृत फरमाने की कृपा करें। अप्रार्थीगण संख्या 20, 22 लगा. 24, 27, 29, 34 लगा. 38 की ओर से बावजूद रजिस्टर्ड एडी. तामील उपस्थित नही आये। ना ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित आया। अप्रार्थीगण संख्या 20, 22 लगा. 24, 27, 29, 34 लगा. 38 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक-भू0अ0/2025/2266 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जर्ये वकील श्री राजेश भडाना के तहसीलदार बांदीकुई द्वारा बनायी गयी रास्ते की मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी वकील द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब नही देकर सीधे बहस की गई। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया गया।

तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक-भू0अ0/2025/2266 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मु0 राजस्व रिकार्ड ग्राम दुब्बी के आराजी ख0 नं0 116, 117, 118, 118/928, 119, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 319 कुल किता 15 रकबा 4.33 है0 के खातेदार करतारसिंह, धर्मसिंह, सुगनसिंह पुत्रान कंचन हि0 1/2 व बदाम पत्नी राजेन्द्र, प्रेमसिंह, मुकेश पुत्रान राजेन्द्र, हेमलता पुत्री राजेन्द्र हि0 1/2 जाति गुर्जर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि पर पहुँचने के लिये अन्य सहखातेदारो की भूमि के आराजी ख0 नं0 398, 399, 400/893 मे से धारा 251 ए के तहत 15 फिट का रास्ता चाहा गया है। मौके पर जानकारी अनुसार व रिकार्ड अनुसार वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 398, 399 व 400/893 में होकर 15 फिट का रास्ता चाहा गया है जिसमे ख0 नं0 399 व 400/893 में पूर्व से ही मौके पर लगभग 15 फिट का रास्ता बना हुआ है, जो मौके पर चालू है व खसरा नम्बर 398 में किसी भी प्रकार का रास्ता नही है। जिसमें नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 398, 399, 400/893 मे लगभग 15 फिट का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिसकी लम्बाई, चौडाई निम्न अनुसार प्रस्तावित है-

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लम्बाई	चौडाई	कुल रकबा
1	398	0.28	बारानी 1	66 मीटर	4.5 मीटर	297 वर्ग मीटर
2	399	0.03	बारानी 1	12 मीटर	4.5 मीटर	54 वर्ग मीटर
3	400/893	0.06	बारानी 1	26 मीटर	4.5 मीटर	117 वर्ग मीटर

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही होना बताया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई वादीगण को ख0 नं0 398, 399, 400/893 मे से धारा 251 ए के तहत 15 फिट का रास्ता (तहसीलदार रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते अनुसार) वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर आने जाने के लिये रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की डीएलसी दर से गणना कर दो गुना राशि वादीगण से खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवा कर प्रस्तावित रास्ता भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/7/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)